GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2592
TO BE ANSWERED ON 16TH MARCH, 2026

PENSION AND WELFARE SUPPORT FOR WAR WIDOWS AND FAMILIES OF MARTYRS

2592. MS SWATI MALIWAL

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the total number of war widows and families of martyrs receiving pension under various Armed Forces Pension Rules, category-wise and rank-wise;

(b) the average monthly pension disbursed to war widows and eligible family members, rank-wise, along with the total amount paid annually during the last five years;

(c) the number of beneficiaries who have received ex-gratia or battle casualty compensation during the said period, along with the amount disbursed; and

(d) the details of additional welfare measures extended to war widows and families of martyrs, including housing, medical facilities, educational support for children and employment assistance?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI SANJAY SETH)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a) The number of widows and families of martyrs drawing Liberalised Family Pension (LFP) through SPARSH, as on 31.01.2026, under Category D and E is **8329** and **1368** respectively. The detailed breakup is attached at **Annexure-I (table-1).**

(b) There is no concept of average pension since amount of pension is dependent upon rank, pay last drawn, degrees of disablement and nature of award. However, the amount of LFP disbursed through SPARSH in the month of Feb 2026 is **Rs 9,91,71,086** for ICOs (**Indian Commissioned Officers)** and **Rs. 59,70,85,819** for JCOs **(Junior Commissioned Officers)**/Ors **(Other Ranks)**. The rank wise detail is attached at **Annexure-I (table-2).** The total amount paid annually during the last five years combined is **Rs 19,16,26,84,026 (Rs 1916.27 cr approx)**

(c) The number of beneficiaries to whom ex-gratia lumpsum has been sanctioned through SPARSH in the last five years is 930 and the corresponding total ex-gratia lumpsum is to **Rs. 293.20 cr.**

(d) Various welfare measures/ schemes are extended by DGR (Directorate General Resettlement*)* and KSB (Kendriya Sainik Board). The details are placed at **Annexure II and III**. Further to provide medical assistance the war widows are exempted from one-time Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS contribution) towards ECHS membership through which medical facilities are provided. War widows have also been facilitated with the facility of home delivery of Authorized Local Chemist Medicines. In addition to this Air Force Naval Housing Board (AFNHB), (a welfare organization) gives first priority for allotment of a dwelling unit to widows of martyred Air force and Naval personnel in ongoing AFNHB housing schemes on actual cost basis without deriving any benefit.

…..2/-

ANNEXURE I REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2592 FOR 16.03.2026 REGARDING PENSION AND WELFARE SUPPORT FOR WAR WIDOWS AND FAMILIES OF MARTYRS.

a Number of widows and families of martyrs drawing Liberalised Family Pension through SPARSH, as on 31.01.2026, under Category D & E (as per GoI letter dated 31.01.2001 as amended from time to time) are as under –

Table-1

ICOs		
Rank in Army (and equivalent ranks in Navy and Air Force)	**Count of spouse drawing LFP**	**Count of families drawing LFP other than spouse**
Lt	23	2
Capt	83	1
Major	220	2
Lt Col	72	
Col	40	
Brig	10	
Maj Gen	3	1
JCOs/ORs		
Sepoy	4,606	1,265
Naik	1,504	67
Havildar	1,081	21
Artificer	2	
Nb Sub	343	5
Sub	326	4
Sub Maj	13	
Hony Lt	2	
Hony Capt	1	
Total	**8,329**	**1,368**

b Rank-wise Liberalised Family Pension disbursed through SPARSH in the month of Feb 2026 is as under :-

Table-2

ICOs		**JCOs/ORs**	
Rank	**Amount Disbursed**	**Rank**	**Amount Disbursed**
Lt	35,60,288	Sepoy	32,25,00,722
Capt	1,38,04,248	Naik	10,83,48,593
Major	4,14,02,356	Havildar	9,42,88,046
Lt Col	2,08,25,641	Artificer	1,47,965
Col	1,42,38,478	Nb Sub	3,55,50,647
Brig	38,99,486	Sub	3,37,44,930
Maj Gen	12,03,588	Sub Maj	21,09,358
General	2,37,000	Hony Lt	3,95,558
Total	**9,91,71,086**	**Total**	**59,70,85,819**

ANNEXURE II REFERRED TO IN REPLY TO PART (d) OF RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2592 FOR 16.03.2026 REGARDING PENSION AND WELFARE SUPPORT FOR WAR WIDOWS AND FAMILIES OF MARTYRS.

1. DGR has no schemes exclusively earmarked for the war widows, widows and their families. However, DGR runs following Re-settlement and Skill Development Training schemes for which widows of Armed Forces Personnel and widows & Dependents of Ex-servicemen are also eligible: -

(a) **Coal Tipper Attachment Scheme for Widows/ Disabled and Dependents of Ex-Servicemen as Beneficiaries.** Disabled soldiers/widows & dependents of ex-servicemen pay a seed money of Rupees One Lakh and they get monthly reimbursement of Rs.3,000/-. At the end of contract, Rupees One Lakh is returned to the widows/ Disabled Soldiers.

(b) **Allotment of Safal Outlets**. Safal outlets, a subsidiary of Mother Dairy Private Limited comprising of Fruit & Vegetable Shops are provided to Widows/ Dependents of service personnel who passed away in service / Ex-servicemen. The same is only applicable in Delhi & NCR Region.

(c) **Issue of DGR Eligibility Certificate for allotment of Oil Product Agencies advertised under 8% Reserved Quota**. The Ministry of Petroleum & Natural Gas has reserved 8% quota for allotment of LPG Distributorship and Petrol/Diesel Retail Outlets for Defence personnel which also include Widows/dependents of members of Armed Forces who died in war or in harness due to attributable or aggravated causes to Military Service. ***The eligibility certificate, certifying an individual's eligibility to apply for the above distributorship, is issued by the office of DGR to eligible persons. The final selection/ allotment is done by the concerned Oil Company as per their policy in vogue on the subject issue.***

(d) **Skill Development (Resettlement Training) Courses**. Directorate General Resettlement is mandated to conduct skill development (resettlement training) course for retiring / retired officers, JCOs/ OR & Equivalent of Indian Army, Navy & Air Force at various training institutes of India. There is also a built-in provision for widows to undergo above stated skill development training courses. Towards this, **a quota 3% of vacancies** are reserved for them in each financial year.

2. The existing quota of reservations available for Ex-Servicemen (ESM) in **Public Sector Banks (PSBs)** and **Central Public Sector Undertakings (CPSUs) in which widows can apply** are as follows: -

(a) **Public Sector Banks (PSBs) and Central Public Sector Undertakings (CPSUs):**

(i) 14.5% in all Direct Recruitment Group 'C' Posts.

(ii) 24.5% in all Direct Recruitment Group 'D' Posts.

(Including 4.5% for Disabled ESM and Dependents of Service personnel killed in action)

(b) **Central Civil Services & Posts (CCS&P) of Central Government Ministries/ Departments and Central Armed Police Forces (CAPFs):**

The benefit of reservation has been extended to two dependents (including widows) and given Priority II-A to secure a job in Group 'C' & 'D' categories of posts under Central Govt Organizations.

…..4/-

ANNEXURE III REFERRED TO IN REPLY TO PART (d) OF RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2592 FOR 16.03.2026 PENSION AND WELFARE SUPPORT FOR WAR WIDOWS AND FAMILIES OF MARTYRS.

Sr	Grants	Amount (in Rs)
1	**Penury Grant** (65 Yrs and above) (Non-Pensioners upto Hav Rank)	Rs 8,000/-pm
2	**Education Grant** (upto two children) (i) Boys/Girls upto Graduation (ii) Widows for PG (Pensioner/Non-Pensioner upto Hav Rank) and upto two children	Rs 2,000/-pm
3	**Disabled Children Grant** (Pensioner/Non-pen upto JCO Rank)	Rs 3,000/-pm
4	**Daughter's Marriage Grant** (upto 02 Daughters) (Pensioner/Non-Pen upto Hav Rank) **Widow Re-Marriage Grant** (Pensioner/Non-Pen upto Hav Rank)	Rs 1,00,000/-
5	**Medical Treatment Grant** (Non-pensioner upto Hav Rank)	Rs 50,000/- (Max)
6	**Orphan Grant** (Pensioner/Non-pen All Ranks) • Daughters of ex-servicemen till she is married. • One Son of ESM upto 21 years of age.	Rs 3,000/- pm
7	**Vocational Trg Grant for Widows** (Pensioner/non-Pen upto Hav Rank)	Rs 50,000/- (One Time)
8	**Serious Diseases as listed below: -** Angioplasty & Angiography, CABG, Open Heart Surgery, Valve Replacement, Pacemaker Implant, Cerebral stroke, Prostrate Surgery, Joint Replacement and Renal Failure. **Other Diseases**: Dialysis and Cancer treatment (Applicable to Non pensioners ESM/widows/Dependents for wife of ESM in all ranks)	75% & 90% of total expenditure for officers & PBORs respectively. Upto Rs 1.50 Lakh (max). 75% & 90% of total expenditure for officers & PBORs respectively. Upto a max of Rs 75,000/- per annum for Cancer and Dialysis.
9	**Modified Scooter to Disabled Ex-servicemen applicable upto JCO rank.** ESM who are disabled after service with a disability 50% or more.	Rs 1,00,000 (re-apply after 10 yrs)
10	**Interest Subsidy on Home Loan applicable upto JCO rank**. Reimbursement of 50% interest charged by the banks or Govt/Public Sector including LIC, GIC and HUDCO etc for construction of house to War bereaved, War disabled and attributable peace time casualties.	Rs 1,00,000 max (one time)

2. **Prime Minister's Scholarship Scheme**: Total 5500 scholarship are provided annually to eligible wards based on merit for the entire duration of the courses. The rates of scholarship are as follows: -

(a) Rs. 2500/- per month for boys
(a) Rs. 3000/- per month for girls

3. **Financial support to institutions involved in rehabilitation of ESM**:-

Ser	Organisation	Quantum of Aid/Grant
1	**Paraplegic Rehabilitation Centers** (i) Kirkee (ii) Mohali	**Establishment grant (per annum)** (i)Rs 1.20 Cr wef Apr 2016 (ii)Rs 10 lakh (wef Apr 2015) 30,000/- pa per inmate
2	All India Gorkha Ex-servicemen welfare association, Dehradun	Rs. 12 lakh per annum (enhanced to Rs 18 lakh per annum wef FY 2026-27).
3	**Cheshire Homes** (i) Lucknow (ii) Dehradun (iii) Delhi	Rs 15,000/- per annum per inmate
4	**War Memorial Hostels.** There are 36 WMHs which provide shelter to the children of War Widows/War disabled, attributable and non attributable cases.	Rs 1350/- per child per month

4. **Reservation of seats in Medical/Dental Colleges for wards of Defence Personnel as Govt of India Nominee**. A total of 42 MBBS seats and 3 seats in BDS courses for FY 2025-26 were allotted by Ministry of Health Family Welfare to KSB for wards of defence personnel as a Govt of India nominee.

*****

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2592
16 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

शहीदों की विधवाओं तथा शहीदों के परिवारों हेतु पेंशन एवं कल्याणकारी सहायता

2592. सुश्री स्वाति मालिवाल:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सशस्त्र बल पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रही शहीदों की विधवाओं और शहीदों के परिवारों की श्रेणी-वार और रैंक-वार कुल संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान शहीदों की विधवाओं और पात्र परिजनों को संवितरित की गई औसत मासिक रैंक-वार कितनी है तथा इस अवधि के दौरान प्रतिवर्ष भुगतान की गई कुल धनराशि कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनुग्रह राशि या युद्ध हताहत मुआवजा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा कितनी धनराशि संवितरित की गई; और

(घ) शहीदों की विधवाओं और शहीदों के परिवारों को प्रदान किए गए अतिरिक्त कल्याणकारी उपायों, जिनमें आवास, चिकित्सा सुविधाएं, बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता और रोजगार सहायता शामिल है, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क): दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार, एसपीएआरएसएच (स्पर्श) के माध्यम से उदारीकृत परिवार पेंशन (एलईपी) प्राप्त करने वाली शहीदों की विधवाओं और परिवारों की संख्या श्रेणी घ और ङ. के तहत क्रमशः **8329** और **1368** है। विस्तृत ब्यौरा **अनुलग्लक-I (तालिका-1**) पर संलग्न है।

(ख): औसत पेंशन की कोई अवधारणा नहीं है चूंकि पेंशन की धनराशि रैंक, अंतिम आहरित वेतन, निशक्तता की डिग्री और पुरस्कार की प्रकृति पर निर्भर करती है। हांलाकि, फरवरी 2026 के महीने में स्पर्श के माध्यम से संवितरित एलईपी की धनराशि आईसीओ **(भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारियों**) के लिए **9,91,71,086 रुपये है** और जेसीओ **(कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों)** / **या (अन्य रैंकों)** के लिए **59,70,85,819 रुपये है**। रैंक-वार ब्यौरा **अनुलग्लक-I (तालिका-2**) पर संलग्न है। विगत पांच वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से भुगतान की गई कुल सम्मिलित राशि **19,16,26,84,026 रुपये (लगभग 1916.27 करोड़ रुपये) है**।

(ग): वे लाभार्थी जिनकों पिछले पांच वर्षों के दौरान स्पर्श के माध्यम से एकमुश्त अनुग्रह राशि अनुमोदित की गई है की संख्या 930 है और इसके अनुरूप कुल एकमुश्त अनुग्रह राशि **293.20 करोड़** रुपये है।

(घ): डीजीआर (पुनर्वास महानिदेशालय) और केएसबी (केन्द्रीय सैनिक बोर्ड) द्वारा विभिन्न कल्याण उपाय/ स्कीम लागू की गई हैं। ब्योरें **अनुलग्लक II और III** पर दिए गए हैं। इसके अलावा, चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए, युद्ध विधवाओं को ईसीएचएस सदस्यता के लिए, एकमुश्त पूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस अंशदान) से छूट दी गई है, जिसके माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। युद्ध विधवाओं को अधिकृत स्थानीय औषधालय से दवाओं की होम डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड (एएफएनबी), (एक कल्याण संगठन) अपनी चल रही आवास योजनाओं में वास्तविक लागत के आधार पर बिना किसी लाभ के शहीद वायुसेना और नौसेना के जवानों की विधवाओं को घर आवंटित करने में पहली प्राथमिकता देता है।

"शहीदों की विधवाओं तथा शहीदों के परिवारों हेतु पेंशन एवं कल्याणकारी सहायता" के बारे में दिनांक 16.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2592 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

क दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार, स्पर्श के माध्यम से श्रेणी घ और ड़ के अंतर्गत (समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के दिनांक 31.01.2026 के अनुसार) उदारीकृत परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले शहीदों की विधवाओं और परिवारों की संख्या निम्नानुसार हैं -

तालिका-I

आईसीओ		
सेना में रैंक (और नौसेना और वायु सेना में समकक्ष रैंक)	**एलएफपी आहरित करने वाले दंपत्ति की संख्या**	**दंपत्तियों के अलावा एलएफपी आहरित करने वाले परिवारों की संख्या**
लेफ्टिनेंट	23	2
कैप्टन	83	1
मेजर	220	2
लेफ्टिनेंट कर्नल	72	
कर्नल	40	
ब्रिगेडियर	10	
मेजर जनरल	3	1
जेसीओ/ओआरएस		
सिपाही	4,606	1,265
नायक	1,504	67
हवलदार	1,081	21
आर्टिफिसर	2	
नायब सुबेदार	343	5
सुबेदार	326	4
सुबेदार मेजर	13	
ऑनोरेरी लेफ्टिनेंट	2	
ऑनोरेरी कैप्टन	1	
कुल	**8,329**	**1,368**

ख	फरवरी 2026 में स्पर्श के माध्यम से रैंक-वार संवितरित की गई उदारीकृत परिवार पेंशन निम्नानुसार है:-

<u>तालिका-2</u>

आइसीओ		**जेसीओ/अन्य**	
रैंक	**संवितरित राशि**	**रैंक**	**संवितरित राशि**
लेफ्टिनेंट	35,60,288	सिपाही	32,25,00,722
कैप्टन	1,38,04,248	नायक	10,83,48,593
मेजर	4,14,02,356	हवलदार	9,42,88,046
लेफ्टिनेंट कर्नल	2,08,25,641	आर्टिफिसर	1,47,965
कर्नल	1,42,38,478	नायब सुबेदार	3,55,50,647
ब्रिगेडियर	38,99,486	सुबेदार	3,37,44,930
मेजर जनरल	12,03,588	सुबेदार मेजर	21,09,358
जनरल	2,37,000	ऑनोरेरी लेफ्टिनेंट	3,95,558
कुल	**9,91,71,086**	**कुल**	**59,70,85,819**

"शहीदों की विधवाओं तथा शहीदों के परिवारों हेतु पेंशन एवं कल्याणकारी सहायता" के बारे में दिनांक 16.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2592 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

1. डीजीआर के तहत युद्ध विधवाओं, अन्य विधवाओं और उनके परिवारों के लिए विशेष रूप से निर्धारित कोई योजना नहीं है। हालाँकि, डीजीआर द्वारा निम्नलिखित पुनर्वास और कौशल विकास प्रशिक्षण योजनाएं चलाता है, जिनके लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों की विधवाएँ और भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं व आश्रित भी पात्र हैं:-

(क) **भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं/दिव्यांग सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए लाभार्थी के रूप में कोयला टिपर अटैचमेंट योजना:** दिव्यांग सैनिक/भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं और आश्रित एक लाख रुपये की प्रारंभिक राशि जमा करते हैं और उन्हें 3,000 रुपये की मासिक प्रतिपूर्ति मिलती है। अनुलग्लक की अवधि समाप्त होने पर, विधवाओं/दिव्यांग सैनिकों को एक लाख रुपये की राशि वापस कर दी जाती है।

(ख) **'सफल' आउटलेट्स का आवंटन:** 'सफल' आउटलेट्स, जो मदर डेयरी प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और जिसमें फल व सब्जियों की दुकानें शामिल हैं, उन सैन्य कर्मियों, जिनका सेवाकाल के दौरान निधन हो गया हो/भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों को आवंटित किए जाते हैं। यह योजना केवल दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में ही लागू है।

(ग) **8% आरक्षित कोटे के तहत विज्ञापित तेल उत्पाद एजेंसियों के आवंटन हेतु डीजीआर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करना:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रक्षा कर्मियों के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और पेट्रोल/डीजल खुदरा आउटलेट्स के आवंटन हेतु 8% कोटा आरक्षित किया है जिसमें सशस्त्र बलों के उन सदस्यों की विधवाएँ/आश्रित भी शामिल हैं, जिनका निधन युद्ध में अथवा सेवाकाल के दौरान सैन्य सेवा से जुड़े या उसके कारण बिगड़ी हुई स्वास्थ्य स्थितियों के चलते हुआ हो। **उपर्युक्त डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने हेतु किसी व्यक्ति की पात्रता को प्रमाणित करने वाला 'पात्रता प्रमाण पत्र', डीजीआर कार्यालय द्वारा पात्र व्यक्तियों को जारी किया जाता है। अंतिम चयन/आवंटन संबंधित तेल कंपनी द्वारा, इस विषय पर उस समय प्रचलित उनकी नीति के अनुसार किया जाता है।**

(घ) **कौशल विकास (पुनर्वास प्रशिक्षण) पाठ्यक्रम:** 'पुनर्वास महानिदेशालय' (डीजीआर) को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त अधिकारियों, जेसीओ/ओआर और समकक्ष रैंक के कर्मियों के लिए

भारत के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल विकास (पुनर्वास प्रशिक्षण) पाठ्यक्रम संचालित करे। उपर्युक्त कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए विधवाओं हेतु भी एक अंतर्निहित प्रावधान रखा गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में **रिक्तियों का 3% कोटा** उनके लिए आरक्षित रखा जाता है।

2. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी)**और **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू)** में भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए उपलब्ध आरक्षण का मौजूदा कोटा, जिसके तहत विधवाएं आवेदन कर सकती हैं, इस प्रकार है:-

(क) **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू):**

(i) सभी सीधी भर्ती समूह 'ग' पदों में 14.5%

(ii) सभी सीधी भर्ती समूह 'घ' पदों में 24.5%

(इसमें दिव्यांग ईएसएम और युद्ध में शहीद हुए सैन्य कर्मियों के आश्रितों के लिए 4.5% शामिल है)

(ख) **केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की केंद्रीय सिविल सेवाएं एवं पद (सीसीएस एंड पी) तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ):** आरक्षण का लाभ दो आश्रितों (विधवाओं सहित) तक बढ़ाया गया है और उन्हें केंद्र सरकार के संगठनों के तहत समूह 'ग' और 'घ' श्रेणी के पदों में नौकरी पाने के लिए प्राथमिकता II-क पर दी गई है।

"शहीदों की विधवाओं तथा शहीदों के परिवारों हेतु पेंशन एवं कल्याणकारी सहायता" के बारे में दिनांक 16.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2592 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

क्रम सं.	अनुदान	राशि (रुपए में)
1	**निर्धनता अनुदान** (65 वर्ष और इससे अधिक) (हवलदार रैंक तक के गैर-पेंशनभोगी)	8000/- रुपए प्रति माह
2	**शिक्षा अनुदान** (दो बच्चों तक) (i) स्नातक तक बालक/बालिकाएं (ii) पीजी के लिए विधवाएं (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) और दो बच्चों तक	2000/-रुपए प्रति माह
3	**नि:शक्त बच्चों के लिए अनुदान** (जेसीओ रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	3000/- रुपए प्रति माह
4	**पुत्री के विवाह के लिए अनुदान** (02 पुत्रियों तक) (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	1,00,000/-रुपए
	विधवा पुनर्विवाह अनुदान (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	
5	**चिकित्सीय उपचार अनुदान** (हवलदार रैंक तक के गैर-पेंशनभोगी)	50,000/-रुपए (अधिकतम)
6	**अनाथ संबंधी अनुदान** (सभी रैंक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) • विवाह हो जाने तक भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियां • वर्ष की आयु तक भूतपूर्व सैनिक का 21 एक पुत्र	3000/-रुपए प्रति माह
7	**विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान** (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	50,000/-रुपए (एकबारगी)
8	**निम्न सूची अनुसार गंभीर बीमारियां:-** एंजीयोप्लास्टीएवंएंजीयोग्राफी, सीएबीजी, ओपन हार्ट सर्जरी, वॉल्व रीप्लेसमेंट, पेसमेकर इम्प्लांट, सेरेब्रल स्ट्रोक, प्रोस्ट्रेट सर्जरी, जॉइन्ट रीप्लेसमेंट और रीनल फेल्योर।	अधिकारियों और पीबीओआर के लिए कुल व्यय का क्रमश: 75% और 90% अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक।

	अन्य बीमारियां: डायलिसिस और कैंसर उपचार (सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/विधवाओं/ईएसएम की पत्नी के आश्रितों पर लागू होता है)	अधिकारियों तथा पीबीओआर के लिए कुल व्यय का क्रमश: 75% और 90%। कैंसर और डायलिसिस के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 75,000/- रुपए तक।
9	**नि:शक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए मॉडिफाइड स्कूटर अनुदान जेसीओ रैंक तक लागू:** ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनकी सेवा के बाद नि:शक्तता 50% या उससे अधिक है	1,00,000 रुपए (10 वर्ष के बाद पुन: आवेदन)
10	**जेसीओ रैंक तक आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी:** युद्ध से शोक संतप्त, युद्ध में नि:शक्त हुए तथा शांतिकाल में हताहत हुए सैनिकों के मकानों के निर्माण हेतु एलआईसी/जीआईसी और हुडको सहित बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र आदि द्वारा लिए गए ब्याज की 50% धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।	अधिकतम 1,00,000 रुपए (एकबारगी)

2. **प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति स्कीम:** पाठ्यक्रमों की सम्पूर्ण अवधि के लिए मेरिट के आधार पर पात्र बच्चों को कुल 5500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की दरें निम्नवत हैं:-

(क) बालकों के लिए प्रतिमाह 2500/- रुपए।

(ख) बालिकाओं के लिए प्रतिमाह 3000/- रुपए।

3. ईएसएम के पुनर्वास में संलग्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता:-

क्रम सं.	**संगठन**	**सहायता/अनुदान की प्रमात्रा**
1	**पैरेप्लेजिक रीहैबिलिटेशन सेन्टर**	**स्थापना अनुदान (प्रतिवर्ष)**

	(i) किर्की (ii) मोहाली	(i) 1.20 करोड़ रुपए (अप्रैल 2016 से) प्रतिवर्ष संवासी (ii) 10 लाख रुपए (अप्रैल 2015 से) } 30,000/- प्रति
2	अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ, देहरादून	12 लाख रुपए प्रति वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 18 लाख रु. प्रतिवर्ष कर दिया गया है)
3	**चेशायर गृह** (i) लखनऊ (ii) देहरादून (iii) दिल्ली	15,000/- रुपए प्रतिवर्ष प्रति संवासी
4	**समर स्मारक छात्रावास:** 36 ऐसे डब्ल्यूएमएच हैं जो युद्ध विधवाओं/ आरोप्य तथा अनारोप्य मामलों में युद्ध में नि:शक्तजनों के बच्चों को आश्रय प्रदान कर रहे हैं।	1350/- रुपए प्रति बच्चा प्रतिमाह

4. **भारत सरकार के नामिति के रूप में रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सीटों का आरक्षण:** भारत सरकार के नामिति के रूप में रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केएसबी को एमबीबीएस की कुल 42 सीटें और बीडीएस पाठ्यक्रमों की 3 सीटें आवंटित की गई थी।

*****